फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

गुरमुखराम **बनाम** खेमाराम आदि

किस्म मुकदमाः—212 आरटीए प्रकरण संख्याः—105/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द सुथार ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा देवाराम पुत्र श्री लूणाराम के नाम से चक 18 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 32/26 प0न0 13/295 कि0न0 1/1 से 2/4, 9 से 12, 19/1 से 20/2 = 1.557 है0, प0न0 14/295 कि0न0 4/2 से 15/2 = 2.808 है0 कुल 4.365 है0 नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। स्व0 देवाराम का देहान्त हो चुका हैं। उनके देहान्त पश्चात् प्रार्थी का 1/4 हिस्सा में 1/3 हिस्सा बनता हैं। क्योकि प्रार्थी की भुआ गौरा ने अपने जीवनकाल में मौखिक रूप से अपने भाईयो हेमाराम, मूलाराम, खेमाराम, हीराराम के पक्ष में हक त्याग कर दिया हैं। प्रार्थी के पिता खेमाराम का भी देहान्त हो चुका हैं। प्रार्थी की बहनो संतोष व तुलछी ने भी अपना हिस्सा मौखिक रूप से प्रार्थी के हक में त्याग कर दिया हैं। क्यो कि अप्रार्थी गणेशाराम व मुखराम को तहसील अनूपगढ में चक 24 ए (बी) में जरिये परित्यागपत्र अधिक भूमि दी हैं। खेमाराम ने अपने जीवनकाल में घरू बंटवारा कर तहसील अनूपगढ में अप्रार्थी गणेशाराम व मुखराम को अधिक भूमि एवं सूरतगढ की भूमि प्रार्थी को देना तय पाया था। अप्रार्थीगण अप्रार्थी को अब हिस्सा नही देना चाहते हैं। प्रार्थी से नाराज रहते हैं। जल्द से जल्द भूमि बैचान कर पैसा अकेले हड़पना चाहते हैं। दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी हैं कि जैरवाद रकबा में जबरदस्ती घुसेगें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को रिश्तेदारो के समक्ष पंचायत रखकर समझाने की कौशिश की जिससे प्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इंका हो गये। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन व न पूरा होने वाला नुकसान प्रार्थी के हक में साबित हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1 श्री राकेश सारस्वत ने बताया कि जैरवाद चक 18 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 32/26 अनुसार वर्तमान रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के स्व0 दादा देवाराम पुत्र लूणाराम के नाम से हैं। स्व0 देवाराम का देहान्त हो चुका हैं। स्व0 देवाराम की पत्नी कृष्णा देवी का भी देहान्त हो चुका हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में दर्ज वंशावली अनुसार देवाराम के चार पुत्र कमशः— हेमाराम, मूलाराम, खेमाराम, हीराराम एवं एक पुत्री गोरा देवी कुल पांच जायज वारिस हैं। जिनका प्रत्येक का जैर रकबा में 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 बनता हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1/1 ता 1/4 स्व0 देवाराम के एक पुत्र खेमाराम के जायज वारिस हैं। खेमाराम का देहान्त हो चुका हैं, स्व0 खेमाराम की पत्नी उतमी देवी का भी देहान्त हो चुका हैं। स्व0 खेमाराम के देहान्त पश्चात् स्व0 देवाराम के नाम दर्ज जैर रकबा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1/1 ता 1/4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा ब0हिब0 बनता हैं अर्थात प्रार्थी का जैर रकबा में 1/5 हिस्सा में 1/5 हिस्सा यानि 1/25 हिस्सा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत बनता हैं। अप्रार्थी नं0 1/3 व 1/4 जैर रकबा में अपना हिस्सा स्वयं लेना चाहती हैं। जिन्हे अपना हिस्सा लेने हेतु किसी भी कानूनन के तहत बांधित नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी का जैर रकबा में 1/25 हिस्सा बनता हैं। जिसे अप्रार्थीगण देने को तैयार हैं। अप्रार्थीगण व अन्य स्व0 देवाराम के वारिसो द्वारा प्रार्थी को इस सम्बन्ध में कई बार समझाया जा चुका हैं। परन्तु प्रार्थी के मन में अपने हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करने हेतु बदनियति आ चुकी हैं। प्रार्थी ने पहले भी अप्रार्थी नं0 1/3 व 1/4 को उनका हिस्सा देने हेतु धमकाया गया है परन्तु अप्रार्थी 1/3 व 1/4 द्वारा मना करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मानसिक नुकसान पहुचाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष मिथ्या कथनो के आधार पर पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया हैं ताकि जैर रकबा का विरासतन कानूनन सभी सदस्यो के नाम इन्तकाल दर्ज ना हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी घरू बंटवारा नही हुआ हैं। प्रार्थी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करने हेतु हठधर्मिता धारण कर ली हैं। स्व0 देवाराम के अन्य वारिसो द्वारा जैर रकबा का अपने—2 हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु कई बार प्रार्थी को समझाया गया हैं। कई बार निवेदन किया गया परन्तु हर बार प्रार्थी विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु मना करता रहा हैं। वारिसान के बालिग आने एवं शेष वारिसो द्वारा विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही प्रारम्भ करने के दौरान प्रार्थी द्वारा जानबुझकर कानूनी कार्यवाही में अड़चन पैदा करने की गर्ज से उक्त स्थगन आदेश प्राप्त किया हैं।	

......लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:47:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	प्रार्थी द्वारा स्थगन प्राप्त करने के कारण विरासतन की कार्यवाही रूक चुकी हैं। जिस कारण से राजस्व रिकार्ड में स्व0 देवाराम के वारिसो एवं स्व0 खेमाराम के वारिसो अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण भूमि सम्बन्धि केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहें हैं। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से केसीसी नही बना पाने के कारण अप्रार्थीगण की भूमि सुधार सम्बन्धि तमाम कार्यवाही नही हो पा रही हैं। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि की उपज को सरकारी दर अनुसार बैचान नही कर पा रहें हैं। जिस कारण से न पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हा रहा हैं। अप्रार्थीगण अपने कि व हिस्से की भूमि के कानूनन हकदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार चक 18 एलजीडब्लयु ए खाता नं0 32/26 की 4.365 है0 रकबा स्व0 देवाराम पुत्र श्री लूणाराम के नाम से हैं। स्व0 देवाराम के पांच जायज वारिस हैं। प्रार्थी खेमाराम का पुत्र हैं। खेमाराम का देहान्त हो चुका हैं। स्व0 खेमाराम के पांच जायज वारिस हैं। स्व0 खेमाराम के अन्य वारिस अप्रार्थीगण जैरवाद रकबा में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह स्पष्ट नही किया हैं कि अप्रार्थी नं0 1/3 व 1/4 ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में परित्याग कर दिया हैं। प्रार्थी का जैरवाद रकबा में प्रार्थी का 1/25 हिस्सा बनता हैं। जो कि प्रार्थी को विरासतन इन्तकाल दर्ज होने पर स्वतः प्राप्त हो जायेगा। प्रार्थी को जैरवाद रकबा में 1/25 से अधिक हिस्सा मिलेगा या नही ? यह साक्ष्य के प्रश्न हैं। जो कि वादपत्र के माध्यम से दोनो पक्षो के साक्ष्य आने पर तय होगें। तब तक मृतक व्यक्ति की सम्पदा को उसके वारिसो के नाम जरिये विरासतन इन्तकाल आने से रोका नही जा सकता हैं। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम रकबा दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही ले पा रहें हैं। इसलिये न पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हो रहा हैं। अप्रार्थीगण स्व0 देवाराम एवं स्व0 खेमाराम के वारिस हैं एवं उनके देहान्त पश्चात् अपना–2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार एवं कानूनी कार्यवाही में बाधा पहुचाने की गर्ज से पेश होने के कारण निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए निरस्त किया जाता हैं एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.05.2022 निरस्त की जाती हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावें। निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलाश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested